सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 18/17 **निर्णय दिनांकः–23.05.2018**

1. छैलूराम उर्फ छलूसिंह पुत्र सुरजभान जाति यादव निवासी लालसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. उमराव सिंह
2. उदमीराम
3. ब्रजेश कुमार
4. प्रवीण कुमार
5. संदीप पुत्र छैलुराम जाति यादव निवासी लालासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़।
7. प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीडूँगरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 23–03–2012
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री करणसिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 23–03–2012 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वाद

स्वीकार किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 सगे भाई है व इनके संयुक्त खाते की भूमि ग्राम लालासर के खसरा नम्बर 175, 176, 177, 178 तादादी 11.80 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 179 में तादादी 6.74 हेक्टर भूमि निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के साथ सांठगांठ कर अपने संयुक्त खाते की भूमि के विभाजन का वाद अधिनस्थ न्यायालय में वर्ष 2011 में प्रस्तुत किया गया तथा अपीलांट की गैर हाजरी में दिनांक 23—3—2012 को दावा एकतरफा तौर पर डिक्री कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा आदेश व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा यह कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अर्थात अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा कोई इकबाली जवाब पेश किया कतई सही नहीं है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की तरफ से अदालत मातहत के समक्ष किसी प्रकार का कोई इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा कभी भी अपनी तरफ से श्री राजीव आत्रेय या सादिज खान को अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया है। ना ही जवाब दावा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है। तमाम कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 ने षडयंत्र रचकर अपीलांट के अधिवक्ता नियुक्त कर डिक्री प्राप्त की गई है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के खसरा नम्बर 175 पर कुआं अपनी आय से बनाया गया है। उसमें किसी सह काश्तकार का हिस्सा नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में उमराव सिंह पुत्र अनिल कुमार बनाम छैलुसिंह आदि पेश हुआ तथा उक्त उनवान से ही दर्ज किया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा दर्ज

रजिस्टर में कांट—छांट कर उमरावसिंह पुत्र अनिल कुमार के स्थान पर उमराव सिंह पुत्र सुरजभान सिंह दर्ज कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय व राजस्व अमला से वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आपस में मिलिभगत करके आदेश जैर अपील पारित करवाया गया है। इसकी पुष्टि अदालत मातहत की आदेशिका के अवलोकन से भी होती है। अदालत मातहत के आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 01—09—2011 को समन जारी किये गये। उक्त समन की पुष्ट पर रिपोर्ट अंकित है कि साहिल के घर पर कोई नहीं मिला साहिल के आबाद मकान पर चस्पा किया गया। जबकि अदालत मातहत की आदेशिका में समन जरिये चस्पांदगी के आदेश अंकित नहीं है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरआरडी 1994 पेज 785 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। जिसमें अभिलिलिखत है किः—

Code of Civil Procedure, order 5 Rule 7 - It is the duty of the serving officer to ensure that summons are served personally on the person summoned and then submit a complete report - Merely because the persons has gone out, service by affixation should not be resorted to - Such procedure should be adopted only on the orders of the court.

इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित नियमों की पालना नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में इस तथ्य की जॉच की जानी आवश्यक है कि क्या अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जरिये अधिवक्ता वकालतनामा व जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था अथवा नहीं? प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष जो हलफनामा छैलुराम की तरफ से दिया गया है बताया गया है उक्त हलफनामा भी अपीलांट छैलुराम द्वारा नहीं दिया गया है।

इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जबकि अदालत मातहत द्वारा स्वमेव अपने आदेश में अंकित किया है कि वादगत् भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जावे। इस प्रकार अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य भलींभांति प्रकट थे कि अपीलांट वादगत् भूमि का एक संयुक्त खातेदार है। ऐसी स्थिति में बिना उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 785, आरआरडी 1995 पेज 538 व सीसीसी 2014 पार्ट I पेज 487 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेशों पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 179 रकबा 6.74 हेक्टर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 178 रकबा 2.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 176 रकबा 9.26 हेक्टर वाके रोही ग्राम लालासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का प्रत्ये का 1/5 —1/5 हिस्सा निहित है के बाबत् दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर बंटवारें की इस्तदुआ किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को जरिये समन तलब किया गया। अदालत मातहत द्वारा जारी समनों की पालना में अपीलांट जरिये अधिवक्ता अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने पर व इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने पर दावे में प्राथमिक डिक्री इस आश्य की जारी की गई कि वादी एवं प्रतिवादीगण उमरावसिंह,

छैलुसिंह, उदमीराम, बृजेश कुमार व प्रवीण कुमार पुत्रगण सुरजभान को प्रत्येक के 1/5 —1/5 हिस्से की एवं सरस्वतीदेवी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 179 तादादी 6.74 हेक्टर भूमि उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसके समस्त वारिसान के नाम दर्ज किये जाने व समस्त सह खातेदारान का हिस्सा व मौके पर कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ प्रस्तुत करें।

इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस व संबंधित तहसीलदार से समौका रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार करते हुए पक्षकारों के धारण की भूमि व अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार प्रस्तुत किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है। प्रकरण में संबंधित तहसीलदार को अभी सभी पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन तैयार किये जाने शेष है। यदि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से व्यथित है तो वे स्वयं मौके पर तत्समय उपस्थित रहकर अपनी आपत्ति व्यक्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 23—03—2012 को पारित किया गया था जिसके विरूद्व अपील वर्ष 2017 में प्रस्तुत की गई है अर्थात अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के करीब पॉच वर्ष उपरान्त अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि मियांद के मामलें में दिन—प्रतिदिन के डिले को explain करना अपरिहार्य है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अपीलांट की तरफ से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता उपस्थिति आये व उन्हें प्रकरण की तमाम जानकारी प्राप्त थी ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है स्वीकार योग्य नहीं है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में सभी पक्षकारों के हिस्से व कब्जे के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अभी तक फाईनल डिक्री जारी नहीं की गई। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 पेज 1420, आरआरटी 2014 पार्ट II पेज 1349 व आरआरटी 2014 पार्ट II पेज 1476 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 179 रकबा 6.74 हेक्टर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 178 रकबा 2.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 176 रकबा 9.26 हेक्टर वाके रोही ग्राम लालासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का प्रत्ये का 1/5 —1/5 हिस्सा निहित है के बाबत् दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर बंटवारें की इस्तदुआ विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया। उक्त दावे में अदालत मातहत द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए सभी सह खातेदारों के हिस्से व मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। वादी द्वारा मात्र खाता विभाजन का अनुतोष चाहे जाने पर खाता विभाजन हेतु वर्तमान जमाबन्दी व शेष सह खातेदारान द्वारा भी खाता विभाजन हेतु अपनी सहमति प्रदान करने पर पक्षकारों के मध्य विवाद शेष नहीं रह जाने की स्थिति में सभी पक्षकारों की सहमति स्वरूप तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ को वादगत् भूमि के बाबत् पक्षकारों के हिस्से की भूमि के अनुसार व कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(3) विभाजन के मामलों में यह देखा जाना अनिवार्य होता है कि क्या वादगत् भूमि के विभाजन से पूर्व सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त व उनके धारण की भूमि का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा तैयार किया गया है अथवा नहीं? प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए सभी

पक्षकारों के हिस्सा व मौके पर कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतू आदेशित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार व्यथित है यह साबित करने में असफल रहे है। केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण को पुनः अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

(4) प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट का यह कथन कि उसके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर न तो अधिवक्ता नियुक्त किया गया व ना ही अदालत मातहत के समक्ष इकबाली जवाबदावा ही प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में दौराने बहस अपीलांट से इस आश्क की ताकीद की गई तो उसके द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष यह तथ्य व्यक्त किया गया कि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में भी उसके द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट का यह कृत्य उसकी मानसिक स्थिति को प्रकट करता है।

(5) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट यह कथन करते हुए अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित आये है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए तहसीलदार को यह आदेशित किया गया है कि वे वादगत् भूमि पर सभी सह खातेदारों के हिस्से व मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें।

प्रकरण में अपीलांट मूल रूप से इस तथ्य से भयभीत प्रतीत होता है कि चूंकि वादगत् भूमि के अन्य सह खातेदार उसके सगे भाई है तथा वे उसे उसके हिस्से से वंचित करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री में हस्तक्षेप किये बिना अदालत मातहत को यह निर्देश देना उचित पाते है कि वे प्रकरण में फाईनल डिक्री के प्रस्ताव तैयार करते समय संबंधित तहसीलदार को आदेशित करावें कि वे विशेष रूप से अपीलांट की उपस्थिति में अपीलांट के हिस्से की भूमि व अन्य सह खातेदारों के हिस्से की भूमि व मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन के प्रस्ताव

तैयार करावें। इस बाबत् यहॉ यह भी उचित पाते है कि निर्णय की एक प्रति तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ को प्रेषित की जावे कि वे निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करें।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23—03—2012 उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर